

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
कलशा चन्द बनाम डामचन्द  
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>कलशा चन्द</u></p> <p>पिता श्री <u>नन्द लाल गुर्जर</u></p> <p>निवासी- <u>बिहारीपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम बिहारीपुरा</u> <u>म.र. खोसुजी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>289, 62, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 78</u> <u>0.16, 0.11, 0.12, 0.7, 0.23, 0.31, 62/305</u> <u>0.15</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> कुल रकबा <u>4.1</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>बिहारीपुरा (खोसुजी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>289, 62, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 78</u> <u>0.25, 1.67, 0.36, 0.04, 0.16, 0.11, 0.12, 0.7, 0.23, 0.31</u> <u>62/305</u> <u>0.15</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> रकबा <u>4.1</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश किये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>51 555 (197)</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीर देवन) उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>